निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 माघ 1943 (श0)

(सं0 पटना 66) पटना, बुधवार, 9 फरवरी 2022

सं० वि0(27)–पे0को0(पुन0)–22/2017–109(पें०)

foÙk foHkkx

संकल्प

8 फरवरी 2022

fo"k;%& fcgkj jkT; ds ljdkjh lsodksa ds vkfJr ekrk&firk dks ikfjokfjd isa'ku dh vgZrk gsrq vk;&lhek dks muds ikfjokfjd isa'ku dh vuqekU;rk dh frfFk dks ykxw U;wure ikfjokfjd isa'ku ,oa ml ij vuqekU; egxkbZ HkÙkk ds tksM+ ds :i esa fu/kkZfjr fd;s tkus ds lac/k esaA

वित विभागीय संकल्प सं0 11556 दिनांक 22.12.1999 द्वारा पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति हेतु परिवार की परिभाषा में सरकारी सेवक पर पूर्ण रूपेण आश्रित माता–पिता को भी शामिल किया गया है, बशर्ते कि सरकारी सेवक मृत्योपरांत अपनी विधवा अथवा कोई संतान जीवित नहीं छोड़ गया हो तथा माता–पिता की आय 2550 रू0 से अधिक नहीं हो।

2. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा छठें पेंशन पुनरीक्षण के क्रम में निर्गत कार्यालय ज्ञापांक–38/37/08–P&PW(A), दिनांक–02.09.2008 द्वारा पारिवारिक पेंशन हेतु आय सीमा को न्यूनतम पारिवारिक पेंशन एवं उस पर महंगाई भत्ता के जोड़ के रूप में निर्धारित कर दिया गया है, जो आज की तिथि में भी लागू है । राज्य सरकार द्वारा वित विभागीय संकल्प सं0 11556 दिनांक 22.12.1999 द्वारा निर्धारित माता–पिता की आय सीमा को भारत सरकार के उपर्युक्त प्रावधान के आलोक में अद्यतन करने का मामला विचाराधीन था ।

4. सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पारिवारिक पेंशन की अर्हकता हेतु सरकारी सेवक के आश्रित माता–पिता की आय–सीमा उनके पारिवारिक पेंशन की अनुमान्यता की तिथि को लागू न्यूनतम पारिवारिक पेंशन एवं उस पर अनुमान्य महंगाई भत्ता के जोड़ के रूप में निर्धारित की जायेगी ।

vkns'k& आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
लोकेश कुमार सिंह,
सचिव(संसाधन) ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 66-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in